(A Govt. of Jharkhand Undertaking) (CIN: U17122JH2006SGC012606)

झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड हैण्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (झारक्राफ्ट)

प्रथम तल, उद्योग भवन, रातु रोड, राँची

पत्रांक- 205/राँची, **दिनांक- 09.02.2023**
366/Jharcraft/HL/2022-23

बुनकरों के लिए सूचना

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत बुनकर समितियों/समूहों के लिए कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण, लूम एवं सहायक साज–सज्जा एवं बुनकर वर्कशेड के निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उक्त के आलोक में समितियों/समूहों के द्वारा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ दिनांक–28.02.2023 तक जमा कर सकते है।

नियम तथा शर्तें झारक्राफ्ट के वेबसाईट www.jharcraft.in पर देखा जा सकता है।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

ज्ञापांक............................ दिनांक................................

प्रतिलिपिः– 1. श्रीमती अनुबाला कुजूर, कार्यपालक सहायक, झारक्राफ्ट मुख्यालय, राँची को निदेश है कि वे मुख्यालय में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर वरीय सहायक महाप्रबंधक (हस्तकरघा एवं उत्पादन) को सूचित करेंगी।

2. झारक्राफ्ट के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी को निदेश है कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर वरीय सहायक महाप्रबंधक (हस्तकरघा एवं उत्पादन) को साप्ताहिक रूप से सूचित करेंगे।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

नियम एवं शर्तें (बुनकर कर्मशाला के लिए) :–

1. इस योजना अन्तर्गत बुनकर कर्मशाला निर्माण पर 7.00 लाख रुपये का व्यय होगा। प्रत्येक बुनकर कर्मशाला में 20–25 बुनकर कार्य करेंगे। भवनों का निर्माण सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व/विगत दस वर्षों में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा बुनकर कर्मशाला दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. जो समूह/समिति वित्तीय वर्ष 2021–22 की योजना हेतु पूर्व में आवेदन जमा कर चुके है, वैसे समूह/समिति जिनका आवेदन नियम एवं शर्त के अनुसार पूर्ण नहीं है वह कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सुधार करते हुए नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकते है।
4. जिस–जिस समूह/समिति के द्वारा झारक्राफ्ट में वर्तमान/पूर्व में उत्पादन किया जाता रहा है। वैसे समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु चयनित समितियों/समूहों को Check List के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेंगे। कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आवेदन ही मान्य होगा।

Check List:-

(क) समितियों/समूहों का आवेदन पत्र जिसपर समितियों/समूहों के वर्त्तमान अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ख) समितियों/समूहों के अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणा पत्र हस्ताक्षार्थ।

(ग) दानपत्र/राजिस्ट्री की मूलप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) बुनकर कर्मशाला निर्माण से संबंधित रेजुलेसिन की प्रति समितियों/समूहों का होना अनिवार्य है।

(ङ) समितियों/समूहों का अंकेक्षण प्रमाण पत्र 2 वर्षों का (2018 के बाद से)।

(च) संबंधित जिला के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र/ का मूल प्रति अनिवार्य होगा।

(**नोटः–** समितियों/समूहों का चयन नियम एवं शर्त्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

नियम एवं शर्तें (कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण के लिए):–

1. बुनकर समितियों/समूहों को 20–20 के समूह में कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र दो माह का होगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था के द्वारा कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित समितियों/समूहों का नियम एवं शर्तों के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेंगे।
4. जो समूह/समिति वित्तीय वर्ष 2021–22 की योजना हेतु पूर्व में आवेदन जमा कर चुके है, वैसे समूह/समिति जिनका आवेदन नियम एवं शर्त के अनुसार पूर्ण नहीं है वैसे समूह/समिति आवेदन में सुधार करते हुए पुनः नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकते है।
5. चयनोपरांत समितियों/समूहों के प्रत्येक लाभुकों का विवरणी एवं स्वघोषणा पत्र दिये गये प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
6. वैसे समूह/समिति जिन्हे पूर्व में वर्कशेड/लूम एवं सहायक साज–सज्जा वितरित किया जा चुका है, वैसे समूह/समिति को प्राथमिकता दी जायेगी।

(नोटः– समितियों/समूहों का चयन नियम एवं शर्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

<u>नियम एवं शर्तें (बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए):–</u>

1. बुनकरों के लिए नये लूम एवं सहायक साज–सज्जा को क्रय किया जायेगा। प्रत्येक समूह पर औसतन रू० 2.00 लाख व्यय अनुमानित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी समूह को 10% की दर से अंशदान के रूप में रू० 20.000/– (बीस हजार रुपये) झारक्राफ्ट मुख्यालय, राँची को DD/Check के माध्यम से देय करना होगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा लूम एवं सहायक साज–सज्जा दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा हेतु चयनित समितियों/समूहों को Check List के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेगें।
4. जो समूह/समिति वित्तीय वर्ष 2021–22 की योजना हेतु पूर्व में आवेदन जमा कर चुके है, वैसे समूह/समिति जिनका आवेदन नियम एवं शर्त के अनुसार पूर्ण नहीं है वैसे समूह/समिति आवेदन में सुधार करते हुए नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकते है।
5. वैसे समूह/समिति जिन्हें पूर्व में वर्कशेड दिया गया है परन्तु लूम एवं सहायक साज–सज्जा नहीं दी गयी है वैसे को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।)

Check List:-

(क) समितियों/समूहों का आवेदन पत्र जिसपर समितियों/समूहों के वर्तमान अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।
(ख) समितियों/समूहों के अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणा पत्र हस्ताक्षार्थ।
(ग) बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए संबंधित समितियों/समूहों को रेजुलेसिन की प्रति का होना अनिवार्य है।

(नोटः– समितियों/समूहों का चयन नियम एवं शर्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची